

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 579 / 09

संस्थित दि.: 04 / 11 / 09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोगी

विरुद्ध

1. धर्मेन्द्र पिता चंदनलाल मेश्राम, उम्र 25 साल, जाति महार,
निवासी गुदमा चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. राजेश पिता विजय मेश्राम, उम्र 29 साल, जाति महार,
निवासी गुदमा चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. विनोद पिता तीजूलाल निकौसे, उम्र 36 साल, जाति महार,
निवासी गुदमा चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपीगण

- :: निर्णय :: -

(आज दिनांक 21 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380, 457 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 17-18 / 05 / 2009 लक्ष्मी राईस मिल उकवा आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत फरियादी मुकेश अग्रवाल के आधिपत्य से 38 कट्टी लगभग 9 क्विंटल 50 किलो, एच.एम.टी. मसूरी चावल कुल कीमत 18,200 / - रुपये फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की एवं फरियादी की लक्ष्मी राईस मिल जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मुकेश अग्रवाल ने चौकी उकवा में दिनांक 22.05.2009 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध करावाई कि वह दिनांक 17.05.2009 को उसकी राईस मिल को शाम 06:00 बजे बंद करके घर आ गया। दिनांक 18.05.2009 को सुबह 10:00 बजे उसे मुनीम देवेन्द्र मर्सकोले ने बताया कि मिल में रखे चावल कट्टी चोरी हो गये हैं उसने जाकर देखा तो एच.एम.टी मासूरी चावल 9 क्विंटल 50 किलो कीमती 18,200/- रुपये की किसी अज्ञात चोर द्वारा मिल के पीछे प्रवेश कर चोरी कर लिया गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर चौकी उकवा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा राईस मिल से चावल चुराया पाये जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380, 457 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, पुलिस ने फरियादी से मिलकर उनके विरुद्ध झूठी विवेचना कर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 17-18/05/2009 लक्ष्मी राईस मिल उकवा आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत फरियादी मुकेश अग्रवाल के आधिपत्य से 38 कट्टी लगभग 9 क्विंटल 50 किलो, एच.एम.टी. मासूरी चावल कुल कीमती 18,200/- रुपये फरियादी की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर

चोरी कारित की ?

- (2) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुकेश अग्रवाल (लक्ष्मी राईस मिल), जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1 एवं 2 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी मुकेश अग्रवाल (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 17.05.2009 को चावल तैयार कर कट्टी बनाकर कुल 77 कट्टी गोदाम में रखा था। दिनांक 18.05.2009 को सुबह मुनीम देवेन्द्र मर्सकोले ने उसे बताया कि 77 कट्टी चावल रखा था उसमें से 38 कट्टी चावल लगभग 18,000/- रुपये का चोरी हो गया है। घटना के संबंध में उसने पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। आरोपीगण चोरी किये चावल को धीरे-धीरे बिक्री करने के लिये उकवा लाते थे। एक दिन मुरलीधर नसवानी और ओमप्रकाश चौकसे ने आरोपी विनोद को चावल बिक्री करने उकवा लाते समय देखा और उससे पूछताछ की तो आरोपी सन्तोषजनक जवाब नहीं दे पाया आरोपी वहां से भाग गया। आरोपी द्वारा छोड़े गये चावल को चौकी प्रभारी के सुपुर्द किया। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है।

(08) अभियोजन साक्षी फूलचंद तरवरे (अ.सा. 5) का कहना है कि पुलिस चौकी उकवा के चौकी प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की केश डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने गवाह कार्तिक हरडे के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी धर्मेन्द्र मेश्राम एवं आरोपी राजेश मेश्राम तथा आरोपी विनोद निकौसे के मेमोरेण्डम कथन उनके बताये अनुसार गवाहों के समक्ष

लेखबद्ध किये थे, जो प्रदर्श पी-08, 09 एवं 10 है। आरोपी धर्मेन्द्र से 50'50 किलोग्राम के दो कट्टे एच.एम.टी. जुमला एक क्विंटल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी राजेश से 50-50 किलोग्राम के दो कट्टे जुमला एक क्विंटल गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी राजेश, धर्मेन्द्र, विनोद कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5, 6 एवं 7 तैयार किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 6) का कहना है कि अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। फरियादी मुकेश अग्रवाल एवं साक्षी देवेन्द्र मर्सकोले, रामीलाल मरावी, संजय चौहान के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(09) अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 22.02.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में चौकी उकवा के आरक्षक विजय यादव क्रमांक 491 के द्वारा अपराध क्रमांक 0/09 धारा 457, 380 लाने पर उसने असल नम्बरी अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-12 है।

(10) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र मर्सकोले (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपीगण मुकेश अग्रवाल की राईस मिल में काम करते थे। लक्ष्मी राईस मिल में वह मुनीम का काम करता था। घटना 29 मई उसके कथन से दो वर्ष पुरानी है। राईस मिल से चावल की कट्टी आरोपीगण बाहर निकाल रहे थे। घटना के एक दिन पहले मिल में 77 कट्टी चावल था। घटना के दिन स्टॉक चेक किया तो 77 कट्टी चावल में से करीबन 20 कट्टी चावल ही बचा था शेष कट्टी चावल चोरी हो गया था। मिल के पीछे छोटी खिड़की से अंदर प्रवेश कर चोरी हो गई थी। घटना के बारे में उसने मुकेश अग्रवाल को बताया था।

(11) अभियोजन साक्षी सम्मेलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि वह फरियादी मुकेश अग्रवाल की राईस मिल में काम करता है। घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। लक्ष्मी राईस मिल से चावल चोरी हो गया था कितना चावल चोरी हुआ था

इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है।

(12) अभियोजन साक्षी संजय (अ.सा. 4) का कहना है कि देवेन्द्र मर्सकोले मुकेश अग्रवाल की लक्ष्मी राईस मिल में मुनीम का काम करता है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष की है। लक्ष्मी राईस मिल से करीब 50-60 कट्टी चावल चोरी हो गया था।

(13) अभियोजन साक्षी मुरलीधर (अ.सा. 7) एवं ओम प्रकाश चौकसे (अ.सा. 8) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके सामने आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही कोई सामान जप्त किया था। किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-8, 9 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3, 4 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि आरोपी धर्मेन्द्र से उनके सामने 50 किलो चावल के दो बोरे जप्त किये थे और प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षियों ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी राजेश से उनके सामने 50 किलो चावल जप्त किये थे और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 बनाया गया था। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुलिस के कहने पर उन्होंने पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(14) अभियोजन साक्षी सुशील (अ.सा. 9) एवं कार्तिक (अ.सा. 10) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आरोपी विनोद ने उनके सामने चावल चोरी करने के संबंध में कोई बयान नहीं दिये थे। किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-10 पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपी विनोद को उनके सामने गिरफ्तार नहीं किया गया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि आरोपी विनोद ने उनके सामने पुलिस को चावल चोरी के संबंध में बताया था तथा आरोपी विनोद को उनके सामने पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था।

(15) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपीगण निर्दोष हैं पुलिस ने फरियादी से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार

कर एवं झूठी विवेचना कर आरोपीगण को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी सम्मेलाल (अ.सा. 3), संजय (अ.सा. 4), मुरलीधर (अ.सा. 7) एवं ओम प्रकाश चौकसे (अ.सा. 8), सुशील (अ.सा. 9), कार्तिक (अ.सा. 10) ने समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी मुरलीधर (अ.सा. 7), ओम प्रकाश चौकसे (अ.सा. 8), सुशील (अ.सा. 9) एवं कार्तिक (अ.सा. 10) को अभियोजन क्षरा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। विवेचनाकर्ता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(16) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) अभियोजन साक्षी/फरियादी मुकेश अग्रवाल (अ.सा. 1) का कहना है कि दिनांक 17.05.2009 को चावल तैयार कर कट्टी बनाकर कुल 77 कट्टी गोदाम में रखा था। दिनांक 18.05.2009 को सुबह मुनीम देवेन्द्र मर्सकोले ने उसे बताया कि 77 कट्टी चावल रखा था उसमें से 38 कट्टी चावल लगभग 18,000/- रुपये का चोरी हो गया है। घटना के संबंध में उसने पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। आरोपीगण चोरी किये चावल को धीरे-धीरे ब्रिकी करने के लिये उकवा लाते थे। एक दिन मुरलीधर नसवानी और ओमप्रकाश चौकसे ने आरोपी विनोद को चावल बिक्री करने उकवा लाते समय देखा और उससे पूछताछ की तो आरोपी सन्तोषजनक जवाब नहीं दे पाया आरोपी वहां से भाग गया। आरोपी द्वारा छोड़े गये चावल को चौकी प्रभारी के सुपुर्द किया। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में यह स्वीकार किया है कि जिस समय पुलिस द्वारा चावल जप्त किया उस समय आरोपीगण नहीं थे। प्रदर्श पी-02 मौका नक्शा पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे।

(18) अभियोजन साक्षी फूलचंद तरवरे (अ.सा. 5) का कहना है कि पुलिस चौकी उकवा के चौकी प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की केश डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने गवाह कार्तिक हरडे के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी धर्मेन्द्र मेश्राम एवं आरोपी राजेश मेश्राम

तथा आरोपी विनोद निकौसे के मेमोरेण्डम कथन उनके बताये अनुसार गवाहों के समक्ष लेखबद्ध किये थे, जो प्रदर्श पी-08, 09 एवं 10 है। आरोपी धर्मेन्द्र से 50'50 किलोग्राम के दो कट्टे एच.एम.टी. जुमला एक विवंटल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी राजेश से 50-50 किलोग्राम के दो कट्टे जुमला एक विवंटल गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी राजेश, धर्मेन्द्र, विनोद कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5, 6 एवं 7 तैयार किया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 6) का कहना है कि अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। फरियादी मुकेश अग्रवाल एवं साक्षी देवेन्द्र मर्सकोले, रामीलाल मरावी, संजय चौहान के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(19) अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 22.02.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में चौकी उकवा के आरक्षक विजय यादव क्रमांक 491 के द्वारा अपराध क्रमांक 0/09 धारा 457, 380 लाने पर उसने असल नम्बरी अपराध क्रमांक 53/09 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-12 है।

(20) अभियोजन साक्षी देवेन्द्र मर्सकोले (अ.सा. 2) का कहना है कि आरोपीगण मुकेश अग्रवाल की राईस मिल में काम करते थे। लक्ष्मी राईस मिल में वह मुनीम का काम करता था। घटना 29 मई उसके कथन से दो वर्ष पुरानी है। राईस मिल से चावल की कट्टी आरोपीगण बाहर निकाल रहे थे। घटना के एक दिन पहले मिल में 77 कट्टी चावल था। घटना के दिन स्टॉक चेक किया तो 77 कट्टी चावल में से करीबन 20 कट्टी चावल ही बचा था शेष कट्टी चावल चोरी हो गया था। मिल के पीछे छोटी खिड़की से अंदर प्रवेश कर चोरी हो गई थी। घटना के बारे में उसने मुकेश अग्रवाल को बताया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को मिल में घूसते हुये नहीं देखा और न ही चावल निकालते हुये देखा। आरोपीगण ने चावल निकाले ऐसा भी नहीं बताया और न ही पुलिस ने उससे पूछताछ

की थी।

(21) अभियोजन साक्षी सम्मेलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि वह फरियादी मुकेश अग्रवाल की राईस मिल में काम करता है। घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। लक्ष्मी राईस मिल से चावल चोरी हो गया था कितना चावल चोरी हुआ था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही देवेन्द्र मर्सकोले ने उसे चोरी के बारे में कुछ भी बताया था।

(22) अभियोजन साक्षी संजय (अ.सा. 4) का कहना है कि देवेन्द्र मर्सकोले मुकेश अग्रवाल की लक्ष्मी राईस मिल में मुनीम का काम करता है। घटना उसके कथन से पिछले वर्ष की है। लक्ष्मी राईस मिल से करीब 50-60 कट्टी चावल चोरी हो गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसे देवेन्द्र मर्सकोले ने चोरी के संबंध में कुछ नहीं बताया।

(23) अभियोजन साक्षी मुरलीधर (अ.सा. 7) एवं ओम प्रकाश चौकसे (अ.सा. 8) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उनके सामने आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही कोई सामान जप्त किया था। किन्तु मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-8, 9 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3, 4 पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि आरोपी धर्मेन्द्र से उनके सामने 50 किलो चावल के दो बोरे जप्त किये थे और प्रदर्श पी-03 बनाया था। साक्षियों ने इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी राजेश से उनके सामने 50 किलो चावल जप्त किये थे और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 बनाया गया था। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुलिस के कहने पर उन्होंने पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(24) अभियोजन साक्षी सुशील (अ.सा. 9) एवं कार्तिक (अ.सा. 10) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आरोपी विनोद ने उनके सामने चावल चोरी करने के संबंध में कोई बयान नहीं दिये थे। किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श

पी-10 पर उनके हस्ताक्षर है। आरोपी विनोद को उनके सामने गिरफ्तार नहीं किया गया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उनके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि आरोपी विनोद ने उनके सामने पुलिस को चावल चोरी के संबंध में बताया था तथा आरोपी विनोद को उनके सामने पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुलिस के कहने पर उन्होंने पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(25) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता फूलचंद तरबरे एवं नरेन्द्र कुमार दुबे एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। विवेचनाकर्ता एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी मुरलीधर (अ.सा. 7), ओम प्रकाश चौकसे (अ.सा. 8), सुशील (अ.सा. 9) एवं कार्तिक (अ.सा. 10) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने दिनांक 17-18/05/2009 लक्ष्मी राईस मिल उकवा आरक्षी केन्द्र रुपझर के अन्तर्गत फरियादी मुकेश अग्रवाल के आधिपत्य से 38 कट्टी लगभग 9 क्विंटल 50 किलो, एच.एम.टी. मसूरी चावल कुल कीमत 18,200/- रुपये फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की एवं फरियादी की लक्ष्मी राईस मिल जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से यह युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 17-18/05/2009 लक्ष्मी राईस मिल उकवा आरक्षी केन्द्र रुपझर के अन्तर्गत फरियादी मुकेश अग्रवाल के आधिपत्य से 38 कट्टी लगभग 9 क्विंटल 50 किलो, एच.एम.टी. मसूरी चावल कुल कीमत 18,200/- रुपये फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की एवं फरियादी की लक्ष्मी राईस मिल जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

(26) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 17-18/05/2009 लक्ष्मी राईस मिल उकवा आरक्षी केन्द्र रुपझर के अन्तर्गत फरियादी मुकेश अग्रवाल के आधिपत्य से 38 कट्टी लगभग 9 क्विंटल 50 किलो, एच.एम.टी. मसूरी चावल कुल कीमत 18,200/- रुपये फरियादी मुकेश अग्रवाल की सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की एवं फरियादी की लक्ष्मी राईस मिल जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था में सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380, 457 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपीगण जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(29) प्रकरण में जप्तशुदा चावल आदेश दिनांक 17.01.2011 अनुसार नष्ट किया जा चुका है।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)